Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2017–18 निगरानी

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2018/0069

रामस्वरूप पिता कन्हैयालाल, आयु–60 वर्ष,

धंधा–कुछ नहीं,

निवासी– जीरन तहसील जीरन जिला नीमच

............प्रार्थी

प्रार्थी ... श्री अश्विन चौधरी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 13-12-2017
15.12.17
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

कैम्प उज्जैन
प्राप्त
20/12/17

---विरूद्ध---

1. खेमशंकर पिता कन्हैयालाल,
2. बद्रीलाल पिता कन्हैयालाल,
3. ओमप्रकाश पिता कन्हैयालाल,
4. मोहनबाई विधवा जगदीश,
5. हरि पिता जगदीश,

   समस्त निवासीगण–ग्राम जीरन तहसील जीरन जिला नीमच
6. गिरीराज मृत द्वारा वारिसान

   श्रीमती प्रेमबाई विधवा गिरीराज

   निवासी–ग्राम साकरिया तहसील प्रतापगढ़ जिला कोटा (राजस्थान) ....प्रतिप्रार्थीगण

विषय– न्यायालय अपर राजस्व आयुक्त उज्जैन संभाग के प्रकरण क्रमांक 739/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांकित 13–10–2017 के पुनरिक्षण हेतु निगरानी याचिका धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भूरा/18/ 0069 (श्यामलाल/खेमचन्द्र)

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री आलोक शास्त्री द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-10-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष की आपसी सहमति से बंटवारा हुआ तब यह आवेदक का यह कहना कि उसने विश्वास में हस्ताक्षर किये हैं यह प्रमाणित आधार नहीं है क्योंकि आवेदक सहमति के रूप में बंटवारा आवेदन पर विचारण न्यायालय के समक्ष हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है । अत: अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	